न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी श्री राम मदन (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	आदेश तारीख	आदेश दिनांक
140 / 2018	00.00.2018	
	उपस्थित	

01 जयराम
02 सुरेशचन्द
03 रोशनलाल उर्फ रोशु पुत्रान श्री गंगाराम
04 सन्तोष पत्नी स्व0 श्री सुमेरसिंह
05 जयसिंह
06 अजयपाल पुत्रान स्व0 श्री सुमेरसिंह
07 लालकौर पत्नी स्व0 श्री दलीपसिंह
08 रोशनी पत्नी स्व0 श्री कैलाश पुत्र स्व0 श्री दलीपसिंह
09 निखिल उम्र करीब 14 साल
10 नीतू उम्र करीब 09 साल सिरसान स्व0 श्री कैलाश पुत्र स्व0 श्री दलीपसिंह नाबालिगान जरिये वलीएसरपरस्त माता श्रीमती रोशनी
11. सुरेन्द्र पुत्र स्व0 श्री दलीपसिंह
12. रोहित पुत्र स्व0 श्री रूपराम जाति अहीर निवासीगण ग्राम बिसामपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

वादीगण

बनाम

01. शान्ती
02. शिवबहादुर पुत्रान श्री सरदारा
03. सावत्री
04. सुमित्रा
05. सुशीला
06. शकुन्तला पुत्रीयान श्री सरदारा
07. सरस्वती पत्नी श्री सरदारा जाति अहीर निवासीगण ग्राम बिसामपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
08. श्रीमान तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
09. श्रीमान शाखा प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण

10. बबली पुत्री स्व0 श्री दलीपसिंह पत्नी श्री वीरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बिसामपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

11. मीरज
12. कपिल पुत्रान स्व० श्रीमती सुनीता पुत्री स्व० श्री दलीपसिंह जाति अहीर निवासीगण ग्राम बिरामपुर तहसील
किशनगढ़ जिला अलवर (राज०)

——— तरतीबी प्रतिवादी

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :—

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने यह दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जी हाल खसरा नम्बर 157 रकबा 1.18 है० व 163 रकबा 1.14 है० 184 रकबा 0.08 है० किता 3 कुल क्षेत्रफल है० वाके ग्राम मिलकपुरी तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त काश्त खातेदारी की आराजी है। दलीपसिंह को देहान्त हो चुका है। दलीपसिंह के वारिसान वादीगण संख्या लगायत 12 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 है। विवादित आराजी में मिन वादीगण व तरतीबी वादीगण का 1/2 भाग व असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का 1/2 भाग मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त का अंकन दर्ज रिकार्ड है। आराजी खसरा नम्बर 163 में वादीगण ने पक्की मकानात बनाये हुये है। और करीब 30 साल से रिहायश की हुई है। विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में पक्षकारान की शामलात कब्जे काश्त की आराजी है। जिसका रिकार्ड में बंटवारा नहीं हुआ है। रिकार्ड में विवादित आराजी शामलात में दर्ज होने के कारण असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 मिन वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि पर आये दिन झगडा फिसाद करते है मिन वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के हिस्से में आई आराजी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में मजाहमत व मदाखलत पैदा करते है व बिना बंटवारा के ही विवादित आराजी को बेचान करने पर आमादा है। इसलिए मिन वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का व प्रतिवादीगण से शामलात रिकार्ड में काश्त करना दुभर हो गया है। अतः मिन वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण विवादित आराजी में 1/2 हि० व असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का 1/2 भाग का बाई एवं डाउनहस बाद कायमी कुर्रजात खाता एवं लगान अलग कराकर तकासमा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें। रेकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। असल प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया गया तथा अपनी सहमति दर्ज की गई। असल प्रतिवादीगण 2 लगायत 7 तामील के उपरान्त अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 ने जवाब पेश नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 औपचारिक पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया गया। उपस्थित वकील वादीगण द्वारा दावा को प्रारंभिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

तहसीलदार तिजारा ने अपने पत्र क्रमांक एन.आर./19/6521 दिनांक 13.02.2020 को प्रकरण में कुर्रे प्रेषित की। कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित है। अतः दावा वादीगण फाईनल डिक्री किया जाता है निम्न लिखित सारणी अनुसार आराजी हाल खसरा 157 रकबा 1.18 है0 व 163 रकबा 1.14 है0 164 रकबा 0.08 है0 किता 3 कुल क्षेत्रफल 2.40 है0 वाके ग्राम पुरी तहसील तिजारा जिला अलवर को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

सारणी

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	लगान
दलीपसिंह जसवन्तसिंह सुरेशचन्द शिशुपाल उर्फ लीलू पि0 गंगाराम हि0 2/3 सन्तोष देवी पत्नि व जयसिंह अजयपाल पुत्रान भूपसिंह हि0 1/16 हि0 रोहित पुत्र रूपराम हि0 1/16 अहीर सा0 विरामपुर खातेदार	163/2 157/2	0.8200 0.3800	2.27 2.26
	किता 2	1.2000	4.53
शास्त्री दिलबहादुर पुत्रान सरदारा अहीर सा0 देह खातेदार राहिन आर. जी.बी. तिजारा	163/1 157/1 164	0.3200 0.8000 0.0800	0.89 4.74 0.13
	किता 3	1.2000	5.76

तकसीम शुदा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें। जारी हो।
आदेश सुनाया गया।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

6.1.21. पत्रावली में आज प्रार्थी 152 पेश कर निवेदन किया निर्णय दि0 24/2/20 मे क्रम संख्या 1 मे अहवाल से 1/6 के स्थान पर 1/16 हो गया है अत: 152 प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 1/16 के स्थान पर 1/6 पढ़ा जावे

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)